न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री दौलतराम चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या :– 01/2020

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
मोहनलाल पुत्र भूराराम जाति मेघवाल, निवासी धुन्धला, तह0 मारवाड़ जक्शन, जिला पाली राज0।	1.	सरपंच ग्राम पंचायत खारिया सोडा, कार्यालय ग्राम पंचायत खारिया सोडा पंचायत समिति सोजत, तह0 सोजत, जिला पाली, राज0।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75(1)(बी) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

ना.स. 118 स्वीकृत दिनांक 28.01.1988 सरपंच ग्राम पंचायत खारिया सोडा

तारीख रजू :– 25/08/20

उपस्थितिः–

1. श्री घेवर गहलोत, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
2. श्री सरपंच ग्राम पंचायत खारिया सोडा रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक – 25/08/20

अधिवक्ता अपीलान्टान ने एक राजस्व अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्टान अन्तर्गत धारा 75(1)(बी) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि सरहद मौजा खारिया स्वामी, पटवार हल्का खारिया सोडा तह0 सोजत में खसरा संख्या 200 रकबा 1.5800 हैक्टर कृषि भूमि स्थित है, जो कृषि भूमि कानाराम पुत्र बींजाराम की हक हकूक खातेदारी की कृषि भूमि की है। मोहनलाल पुत्र भूराराम, भूराराम (फौत), कानाराम (लाऔलाद फौत) पिसरान बींजाराम उक्त वंशावली अनुसार बींजाराम के दौ जाईन्दा संतान भूराराम एवं कानाराम हुए तथा कानाराम भी लाऔलाद फौत हो चुका है जिनकी किसी प्रकार की कोई विधिक उतराधिकार नही था इसलिए भूराराम एवं कानाराम के स्वर्गवास के पश्चात् एक मात्र विधिक वारिसान मोहनलाल हुआ। कानाराम पुत्र बींजाराम के निवर्सियती स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार अपीलाण्ट एक मात्र प्रथम श्रेणी का विधिक उतराधिकारी हुआ। इसलिए कानाराम के स्वर्गवास के पश्चात् उपरोक्त कृषि भूमि में अपीलाण्ट के नाम नामान्तरण संख्या 118 दर्ज किया जाकर रेस्पोडेण्ट के द्वारा दिनांक 28.01.1988 को स्वीकृत किया गया उक्त नामान्तरण पटवारी हल्का के द्वारा दर्ज करते हुए समय मोहनलाल पुत्र भेराराम के स्थान पर मोहनलाल पुत्र कानाराम दर्ज कर दिया। जबकि अपीलाण्ट भैराराम की जाईन्दा संतान थी न की कानाराम की। कानाराम की किसी प्रकार की कोई जाईन्दा संतान नही थी, जो कि लाऔलाद निवर्सियती स्वर्गवास हो जाने से कानाराम की सम्पति का एकमात्र विधिक उतराधिकारी अपीलाण्ट हुआ। पटवारी हल्का के द्वारा नामान्तरण संख्या 118 को दर्ज करते समय पेन ऑफ स्लीफ एवं सद्भाविक भूल की वजह से अपीलाण्ट की वल्दीयत भैराराम के स्थान पर कानाराम दर्ज कर दी। जबकि नामान्तरण दर्ज करते समय अपीलाण्ट की वल्दीयत भैराराम दर्ज की जानी चाहिए थी, न कि कानाराम इसलिए अपीलाण्ट उक्त नामान्तरण को निरस्त करवाया जाकर अपीलाण्ट की वल्दीयत कानाराम के स्थान पर भैराराम दर्ज करवाने का उतराधिकारी है। इसलिए उक्त नामान्तरण जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का के द्वारा नामान्तरण दर्ज किये जाने से पूर्व विधिक उतराधिकारियों की पूर्ण रूप से जांच कर सही वल्दीयत

उप खण्ड अधिकारी
(जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

दर्ज करने की जानी चाहिए थी लेकिन पटवारी हल्का द्वारा अपीलाण्ट की सही वल्दीयत दर्ज नही कर, अपीलाण्ट के काका कानाराम दर्ज कर दी। जबकि भैराराम दर्ज की जानी चाहिए थी जो एक सदभाविक त्रुटि थी, अपीलाण्ट के पहचान पत्र, राशन कार्ड तथा अन्य सरकारी दस्तावेजात में भी अपीलाण्ट की सही वल्दीयत भूराराम दर्ज सुदा है। जिसे संशोधन कर उक्त नामान्तरण को निरस्त किया जाकर अपीलाण्ट की सही वल्दीयत दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अपीलाण्ट द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर ऋण प्राप्त करने हेतु वर्तमान जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 09.12.2019 को प्राप्त करने पर सर्वप्रथम जानकारी में आया कि राजस्व रेकर्ड में अपीलाण्ट की वल्दीयत गलत दर्ज सुदा है तब अपीलाण्ट नामान्तरण संख्या 118 की प्रमाणित प्रतिलिपि 09.12.2019 को प्राप्त की तो सर्वप्रथम जानकारी में आया कि पटवारी हल्का के द्वारा उक्त नामान्तरण दर्ज करते समय अपीलाण्ट की वल्दीयत भैराराम के स्थान पर कानाराम दर्ज कर दी। जिससे उक्त अपील अन्दर म्याद पेश है तथा धारा 5 म्याद अधिनियम प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। वादरस्थ कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम खारिया स्वामी में स्थित होने एवं नामान्तरण संख्या 118 ग्राम पंचायत खारिया सोडा द्वारा जारी स्वीकृत किये जाने से न्यायालय हाजा का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एव धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत देरीना अवधि को कण्डोन करते हुये नामान्तरण संख्या 118 स्वीकृत दिनांक 28.01.1988 ग्राम पंचायत खारिया सोडा को निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार फरमाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टान को जरिए सम्मन्स तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट को बावजूद तामिली/सुचना बार–बार आवाजें दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से दिनांक 24.08.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस अपीलाण्ट सुनी गई। सरपंच ग्राम पंचायत खारिया सोडा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 118 स्वीकृत दिनांक 28.01.1988 में मोहनलाल पुत्र भैराराम के स्थान पर मोहनलाल पुत्र कानाराम दर्ज कर दिया गया जबकि अपीलाण्ट भैराराम जी की जायन्दा संतान है। कानाराम ला औलाद निवर्सियती स्वर्गवास हो जाने से सम्पति का एक मात्र विधिक उतराधिकारी अपीलाण्ट है जिससे उक्त नामान्तरकरण संख्या 118 दिनांक 28.01.1988 बिना विधिक जांच किए भरा गया जो अवैध एवं विधि विरूद्ध होने से खारिज किए जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वस्तुतः ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 118 दिनांक 28.01.1988 में अपीलाण्ट की वल्दियत गलत रूप से दर्ज की गई है। बींजाराम के दौ जायन्दा पुत्र भूराराम व कानाराम अपील प्रार्थना पत्र अनुसार बताये गये है जिसमे अपीलाण्ट के पिता का नाम भैराराम है तथा कानाराम ला औलाद फौत होना बताया गया है। जिससे धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र युक्तियुक्त होने से स्वीकार किया जाकर देरीना अविधि को कण्डोन (क्षम्य) किया जाता है। फलस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत राजस्व अपील स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 118 दिनांक 28.01.1988 विधि विरूद्ध होने से को खारिज किया जाना तथा तहसीलदार, सोजत को मूल नामान्तरकरण इस निर्देश के साथ कि वे अपीलान्ट मोहनलाल पुत्र स्व0 भूराराम की वल्दियत की विधिक रूप से पुनः जांच करके नामान्तरकरण पारित करने हेतु प्रति प्रेषित किया जाना उचित समझते है।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

–: आदेश :–

अतः अपील अपीलान्टान स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत खारियो सोडा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 118 दिनांक 28.01.1988 विधि–विरूद्ध होने से खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार, सोजत को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता हैं कि वे अपीलान्ट मोहनलाल पुत्र स्व0 भूराराम की वल्दियत व बींजाराम के वारिसों की विधिक रूप से पुनः जांच करके नामान्तरकरण पारित करे। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार हो।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज

यह निर्णय आज दिनांक 24/08/20 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner